न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० (पी०ए०) एक्ट), सिद्धार्थनगर।

UPSD010032492025

Criminal Misc. Cases/285/2025

1) हरेन्द्र कुमार पुत्र हीरालाल

साकिन शिवपति नगर टोला गौहनिया, थाना मोहाना, जिला सिद्धार्थनगर।

---प्रार्थी

बनाम

1. अब्दुल करीम पुत्र गयासुद्दीन

   साकिन शिवपतिनगर, टोला गौहनिया, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

2. सोनू गुप्ता पुत्र हरीराम

   साकिन रामपुर, टोला जुबलीपुर, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

3. राजेश मिश्रा पुत्र विजय मिश्रा

   ग्रामसभा रसूलपुर, टोला माल्हा, थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

4. मनोज यादव सिपाही थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

5. राजन सिंह सिपाही थाना मोहाना, जनपद सिद्धार्थनगर।

----विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा- 173(4) बीएनएसएस

थाना- मोहाना, जिला-सिद्धार्थनगर।

दिनांकः-04-04-2026

निस्तारण प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा- 173(4) बीएनएसएस

1. पत्रावली आदेशार्थ प्रस्तुत हुई।

2. आवेदक हरेन्द्र कुमार के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS पर सुना जा चुका है। चूंकि विपक्षी संख्या 04 व 05 राजकीय सेवक हैं, अतः उन्हें नोटिस जारी कर उनके जवाब आहूत कर संलग्न किये गये हैं व उनके पर्यवेक्षक अधिकारी थानाध्यक्ष थाना मोहाना से प्रकरण के संदर्भ में जाँच रिपोर्ट तलब की जा चुकी है। सुनवाई के स्तर पर विपक्षीगण 04 व 05 के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

3. आवेदक हरेन्द्र कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि नौगढ़ ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकत्री के पद हेतु रिक्तियाँ भरे जाने हेतु वैकेन्सी निकाली गयी थी जिसके लिए उसने अपनी पत्नी रिंकी से आवेदन कराया था व उसके गांव के रहने वाले विपक्षी अब्दुल करीम व सोनू गुप्ता ने उसे यह बताया कि ब्लॉक प्रमुख के पति राजेश मिश्रा के माध्यम से नियुक्ति होनी है व यदि आवेदक अपनी पत्नी की नियुक्ति कराना चाहता है तो बताये जिसपर आवेदक ने विपक्षीगण 01 व 02 की बातों में आकर विपक्षी संख्या 03 राजेश मिश्रा से मुलाकात की जिन्होंने कुल 1,90,000/- रूपये बतौर सरकारी खर्च की मांग की व 04 बार में आवेदक से उक्त रूपये नकद लिये परन्तु आवेदक की पत्नी की नौकरी नहीं लगी। आवेदक ने जब

Digitally signed by MANOJ KUMAR TIWARI
Date: 2026.04.04 16:31:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपना रूपया वापस मांगा तो विपक्षीगण 01 ता 03 मात्र आश्वासन देते रहे व रूपया वापस नहीं किया तथा धमकी दी कि रूपया मांगने पर गम्भीर धाराओं में जेल भिजवा देंगे व दिनांक 28.09.2025 को समय करीब 05.00 बजे शाम विपक्षी संख्या 03 ने जाति सूचक साले व धोबी कहकर आवेदक को अपमानित किया व लात–मुक्का से मारने लगे तथा थाना मोहाना से फोन करके मौके पर दो सिपाही मनोज यादव व राजन सिंह को बुलाया जो आवेदक को मारते हुए थाने ले गये व लॉकप में बंद कर दिये तथा थाने के लॉकप में विपक्षी संख्या 03, 04 व 05 ने आवेदक को बुरी तरह मारा व अपमानित किया तथा दिनांक 29.09.2025 को जबरन सुलहनामा बनवाकर आवेदक से हस्ताक्षर करवाकर थाने से खदेड़ दिये।

4. विपक्षी संख्या 04 व 05 की ओर से आपत्ति का०सं०–14 ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि दिनांक 28.09.2025 को शाम 05.00 बजे मोहाना चौराहे पर जो घटना घटित होने का कथन आवेदक द्वारा किया जा रहा है, उस समय चौराहे पर शाम का समय होने के कारण थाना मोहाना की उ०नि० की अन्य सिपाहीगण के साथ ड्यूटी लगी रही होगी व विपक्षीगण 04 व 05 पूरे समय सुबह की गणना से लेकर शाम की गणना तक थाना परिसर कैम्पस में मौजूद थे तथा न तो उन्होंने आवेदक को मारा पीटा न ही उसे लॉकप में बंद किया न ही सुलहनामा बनवाया। अपने जवाब में विपक्षीगण 04 व 05 ने दिनांक 28.09.2025 की थाने की जीडी संख्या 64 समय 21.57 दाखिल की है जिसमें विपक्षी संख्या 05 राजन सिंह की मोहाना चौक के लिए बैक/ पिकेट ड्यूटी हेतु रवानगी की गयी थी इसी प्रकार वापसी के सम्बन्ध में दिनांक 29.09.2025 की थाना मोहाना की जीडी संख्या 07 समय 05.20 की प्रति दाखिल की गयी है। विपक्षीगण 04 व 05 ने दिनांक 28.09.2025 की थाने की जीडी संख्या 66 समय 22.46 जिसमें विपक्षी संख्या 05 मनोज यादव की उ०नि० शेषनाथ सिंह यादव के साथ बैक/ पिकेट ड्यूटी हेतु रवानगी की गयी थी, का उल्लेख है व मनोज यादव की वापसी दर्शाने हेतु दिनांक 29.09.2025 की थाना मोहाना की जीडी संख्या 06 समय 05.14 की प्रति दाखिल की गयी है।

5. विपक्षी संख्या 04 व 05 के पर्यवेक्षक अधिकारी थानाध्यक्ष थाना मोहाना के द्वारा उ०नि० सर्वेश यादव के माध्यम से जाँच कराकर जरिये क्षेत्राधिकारी सदर जाँच रिपोर्ट दिनांकित 13.11.2025 दाखिल की गयी है जिसमें यह रिपोर्ट दी गयी है कि दिनांक 28.09.2025 को समय 05.00 बजे कोई मारपीट या गाली गुप्ता देने की घटना की पुष्टि नहीं हुई तथा विपक्षी राजेश मिश्रा द्वारा पैसे के लेन देन से इंकार किया जा रहा है व आवेदक द्वारा पैसे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

6. महत्त्वपूर्ण यह है कि इस घटना का प्रारम्भ आवेदक के अनुसार नौगढ़ ब्लॉक में आंगनबाड़ी कार्यकत्री पद हेतु वैकेन्सी का निकाला जाना है परन्तु अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS के समर्थन में ऐसे किसी रिक्ति के प्रकाशित होने अथवा भरे जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई वैकेन्सी निकाले जाने के बावत कोई एडवरटाइजमेंट की प्रति दाखिल नहीं की है। आवेदक ने अपने आवेदन के पैरा 04 में 04 बार में 1,90,000/– रूपये विपक्षी संख्या 03 को दिया जाना कहा है परन्तु उन चारों तिथियों के बारे में कोई स्पष्ट कथन नहीं किया है, न ही आवेदन में यह स्पष्ट किया है कि उक्त रकम का स्रोत क्या था तथा उक्त रकम आवेदक ने किसके समक्ष अदा की, इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। महत्त्वपूर्ण यह है कि जिस घटना दिनांकित 28.09.2025 समय करीब 05.00 बजे शाम के संदर्भ में प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, उक्त घटना के मुख्य किरदार बताये जा रहे विपक्षी संख्या 04 व 05 द्वारा थाने की जीडी दाखिल की गयी है जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे रात भर उसे थाने पर कैसे रख सकते थे जबकि उनकी ड्यूटी बीट/ पिकेट ड्यूटी के संदर्भ में थाने से बाहर लगायी गयी थी। घटना चौराहे की होने के बावजूद आवेदन में घटना के किसी साक्षी का उल्लेख नहीं है। आवेदक ने न तो प्रश्नगत घटना या थाने की लॉकप में मारपीट किये जाने के कारण स्वयं को किसी प्रकार की चोट आने का कोई कथन किया है, न ही कोई चिकित्सकीय रिपोर्ट दाखिल की है। आवेदन के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि न तो विपक्षी संख्या 01, न ही 02 व 03 आगंनबाड़ी कार्यकत्री की नियुक्ति हेतु उत्तरदायी अधिकारी थे। ऐसे में आवेदक द्वारा उन्हें

पैसे क्यों दिये जायेंगे यह स्पष्ट नहीं है। प्रस्तुत आवेदन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक द्वारा मात्र रूपयों की वसूली की सुगमता हेतु मामले को दाण्डिक रंग देते हुए यह आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है जबकि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध प्रकट न होने के कारण मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

7. अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

8. आवेदक का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 173(4) बीएनएसएस निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनॉकः–04–04–2026

(मनोज कुमार तिवारी– I)
अपर जिला एवं सत्र/विशेष न्यायाधीश
(SC/ST(PA)Act), सिद्धार्थनगर।
जे०ओ० कोड UP 1736